रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2013/भाद्र 29, 1935
No. 482] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2013/BHADRA 29, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा–तृतीय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 20130

सा.का.नि. **644(अ)**.—दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. 376 दिनांक 17.08.2006 में प्रकाशित शुद्धि–पत्र के साथ पठित अधिसूचना सं 502, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियम के अधिक्रमण मे दिल्ली विकास प्राधिकरण उपराज्यपाल, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना सं. 18011(28)/67–यू.डी. दिनांक 14.02.1969 द्वारा प्रदत्त केन्द्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दि.वि.प्रा. में सहायक के पद के भर्ती विनियमो मे निम्नलिखित संशोधन करता है ।

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रवर्तन:–**

(i) इन विनियमों को जैसा कि नीचे अनुसूची में दिया गया है, "सहायक पद के भर्ती विनियम दिल्ली विकास प्राधिकरण, 2013 (संशोधित)" कहा जाएगा ।

(ii) ये विनियम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इनके अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. निर्हरता :– कोई भी ऐसा व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा,

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो,

उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

बशर्ते कि केन्द्र सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसे करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

3 **शिथिल करने की शक्तिः**–जब अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों की श्रेणी या पद के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकता है ।

4. **बचाव** :–इन विनियमो मे ऐसा कुछ नही है, जिससे केन्द्र सरकार द्वारा इस संबध मे समय–समय पर जारी आदेशो के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिको और अन्य विशेष श्रेणियो के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सहायक के पद के लिए भर्ती विनियम (संशोधित)

1.	पद का नाम		सहायक
2.	पदों की संख्या		712 (कार्यभार के अनुसार परिवर्तन के अधीन)
3	वर्गीकरण		समूह–'ग'
4.	पे–बैंड एवं ग्रेड–पे / वेतनमान		पे–बैंड–2 9300–34800 रु. ग्रेड पे 4600 रु. सहित
5	**क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है**		**अचयन**
6.	**क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ स्वीकार्य है**		लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा		30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए छूट ।) **टिप्पणी** :– सीधी भर्ती के लिए यथा–निर्धारित अपेक्षित योग्यताए रखने वाले दि.वि.प्रा. कर्मचारी पात्र होंगे और उन पर आयु–सीमा लागू नहीं होगी ।
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताए		(1) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष (2) कम्प्यूटर में प्रवीणता
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एव शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगी ।		**आयु** :– नहीं **शैक्षिक अर्हता** :–नही
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।		2 वर्ष
11.	**भर्ती की पद्धति** : सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशतता		(1) पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत पद । (2) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 25 प्रतिशत पद । (3) सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत पद।
12.	यदि भर्ती पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा की जानी है, तो वह ग्रेड जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।		पदोन्नतिः ऐसे उच्च श्रेणी लिपिको में से, जिन्होंने ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो । सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों में से, जिन्होंने ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
13.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका गठन क्या है ?		पदोन्नति हेतु समूह–'ग' अधिकारियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित, कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति ।

[सं. एफ. 6(15) / 2011 / पी.बी.–3 / आर.आर. / पार्ट]

डी. सरकार, आयुक्त एव सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Personnel Branch-III)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2013

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with Rule (4) of the Delhi Development (Misc.) Rules, 1959, and in supersession of the Recruitment Regulation notified vide Notification No. 502 dated 8th December, 2005 read with corrigendum published in Notification No. 376 dt. 17.8.2006, Delhi Development Authority, with the previous approval of the Lt. Governor, Delhi exercising the powers of the Central Government conferred on him vide Notification No. 18011(28)/67-UD dated 14.2.1969, hereby makes the following modification in recruitment regulation to the post of Assistants in the DDA.

1. **Short title and commencement :-**

   (i) This Regulation as given in the schedule placed below may be called "Recruitment Regulation of Assistants, Delhi Development Authority, 2013 (Revised).

   (ii) This Regulation shall come into force with effect from the date of the approval by the Delhi Development Authority.

2. **Disqualification** – No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

   shall be eligible for appointment to any of the said post :

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

3. **Power to relax :**

   Where the Chairman, Delhi Development Authority, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

4. **Saving :**

   Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Recruitment Regulation for the Post of Assistant in Delhi Development Authority (Revised)

1.	Name of the post	:	ASSISTANT
2.	No. of posts	:	712 (subject to variation dependent on workload)
3.	Classification	:	Group 'C'
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	:	Pay Band-2, Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/-
5.	Whether selection post or non-selection post	:	Non-selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule-30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable.
7.	Age limit for direct recruitment	:	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servant in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: DDA employees possessing required qualifications as prescribed for direct recruits shall be eligible and the age limit shall not be applicable to them.
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	:	(i) Bachelor's degree or equivalent from any recognized University. (ii) Computer Proficiency.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the	:	Age : No Educational qualification : No

	case of promote and deputations ?		
10.	Period of probation, if any	:	Two years
11.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	:	(i) 50% of the posts by promotion. (ii) 25% of the posts by Limited Departmental Competitive Examination. (iii) 25% of the post by direct recruitment.
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made.	:	**PROMOTION** From amongst UDCs with 6 years of regular service in the grade. **Limited Departmental Competitive Exam** The UDCs with 3 years of regular service in the grade.
13.	If a DPC exists what is its composition	:	**For Promotion** Junior Level DPC for Group-'C' Officers as notified by DDA from time to time.

[No. F. 6(15)2011/PB-III/RR/Pt.]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.